



360
16.11.23

केंद्रीय विद्यालय संगठन

Kendriya Vidyalaya Sangathan

क्षेत्रीय कार्यालय/REGIONAL OFFICE

केंद्रीय विद्यालय क्र . 1, एएस.एफ. कैम्पस, सैक्टर -14

KV No.1, AFS Campus, Sector-14

गुरुग्राम (हरियाणा)/Gurugram (Haryana)-122001

Phone: 0124-2307399(DC), 2307499, 2307599, 2307699

F.320082/25/2023-24/Admn/VMC/Palwa/12635-12636

दिनांक: 10.2023

ईमेल/त्वरित डाक

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, गुरुग्राम सम्भाग के अधीनस्थ केन्द्रीय विद्यालय, पलवल के पत्र संख्या फ VMC/के.वि.प./2023-24/879 दिनांक 17.10.2023 के सन्दर्भ में निम्न विवरण अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन की अनुमति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	वि.प्र.स. पद	नए प्रस्तावित सदस्य
1	अध्यक्ष	Ms. Neha Singh, IAS, DC Palwal
2	अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य	Ms. Shashi Vasundhara, SDO (Civil), Palwal
3	ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्	Sh. Subhash Chand, Principal, J.N.V. Palwal
4	ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्	Sh. Birender, Principal, GSS School, Karna Palwal
5	संस्कृति के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति	Sh. Arun Kumar Pathak, Music Teacher, JNV, Palwal
6	अभिभावक सदस्य	Sh. Jagmal Singh F/o Mohit, Class-IV
7	अभिभावक सदस्य	Smt. Chanchal Kaushik M/o Ritika, Class-VIII A
8	ख्याति प्राप्त स्थानीय चिकित्सक	Dr. Sanjay Kumar Singh, Medical Officer In charge, PHC Allika, Palwal
9	SC/ST प्रतिनिधि	Dr.(Smt.) Rameshwari, SDS Civil Hospital, Palwal
10	अध्यापक प्रतिनिधि	Sh. Chanderalpal, PRT, KV Palwal
11	सहयोजित सदस्य	Sh. Brij Mohan Sharma, City SDO DHBVN Palwal
12	सचिव सदस्य	Sh. Rajkumar Katariya, Principal KV Palwal
13	अध्यक्ष, के.स.क.क.समिति	Dr. Sanjay Arya, Vice-Chairman, CGEWCC, Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage, Old CGO Complex, Faridabad
14	तकनीकी सदस्य	Sh. Akhil Rathee, Ex. Eng. CPWD, Faridabad

उपरोक्त समिति का कार्यकाल दिनांक 06.10.2023 से 05.10.2026 तक रहेगा।

क्र. स. 6, 7 एवं 10 पर नामित सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का रहेगा। अतः इन सदस्यों का नया प्रस्ताव एक माह पूर्व भेजा जाए।

01/11/23

(वरुण मिश्र)
उपायुक्त

प्रतिलिपि:

1. प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय पलवल।
2. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, केन्द्रीय विद्यालय पलवल।

विशेष:-

1. केन्द्रीय विद्यालय में सर्वाधिक लम्बे समय से सेवारत शिक्षक को एक वर्ष के लिए बारी बारी से विद्यालय प्रबंधन समिति में नामित किया जाए।
2. प्राचार्य द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति के तीन वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि को नोट कर रखा जाए तथा इसकी समाप्ति के डेढ़ महीने पूर्व इसके पुनर्गठन का प्रस्ताव के.वि.सं. की शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 29 में दिए गए निर्देशानुसार बनाकर इस कार्यालय को प्रेषित किया जाए।